न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–105/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नवीन कुमार पुत्र भंवरा 2. किशनसिंह पुत्र भंवरा जाति राजपूत निवासी किशनपुर तहसील सिणधरी		1. भंवरा पुत्र नागजी जाति राजपूत निवासी किशनपुर तहसील सिणधरी 2. बाबूलाल पुत्र सिरेमल 3. चम्पाला पुत्र नेमीचंद 4. छगनलाल पुत्र भंवरलाल 5. छगनराज पुत्र वंशराज 6. मनोजकुमार मेहता पुत्र भंवरलाल 7. लक्ष्मीचंद पुत्र उदयराज 8. ललितकुमार पुत्र भंवरलाल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 03.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] के पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी [illegible] ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 है[illegible] आई हुई है [illegible] वक्त भू–बन्दोबस्त के [illegible] उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा नागजी पुत्र रतना के नाम जारी हुआ तथा

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

नागजी के फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. नागजी से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है वादी अपने दादा नागजी की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09. 1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है। अतः वादग्रस्त आराजी तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 हैक्टेयर में वादी प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक होने से वादी की खातेदारी की घोषित करते हुऐ वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें व बाद घोषणा के प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 08 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में स्वयं वादी नवीनकुमार पी. डब्ल्यु–1, घेरवचंद पी.डब्ल्यु–2 व रामसिंह पी.डब्ल्यु–3 के बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी खसरा संख्या 12/9 EXP-1, ना.क.सं. की प्रति EXP-2–EXP-3 प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 हैक्टेयर आई हुई है। कि वर्तमान भूमि बंदोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा नागजी पुत्र रतना के नाम जारी हुआ तथा नागजी के फौत

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. नागजी से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है वादी अपने दादा नागजी की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं इस प्रकार बावजूद निरन्तर कब्जा काश्त एवं हक के वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से महरूम हो गया। अतः वादी उक्त भूमि के रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 के 1/15–1/15 खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं इस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 हैक्टेयर आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादी के दादा नागजी पुत्र रतना के नाम जारी हुआ तथा नागजी के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. नागजी से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है वादी अपने दादा नागजी की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं 1 के साथ अपने 1/15–1/15 हिस्से की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारिणी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार करार करते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/15 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner